राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 8315/241/NULM/तीन/2001(SUH)SC-Vol-IV दिनांक 05/01/21

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
उ0प्र0।

विषयः–**डे–एन0यू0एल0एम0 के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आश्रय गृहों/विगत पूर्व निर्मित आश्रय गृहों के निर्माण सम्बन्धी गुणवत्ता, सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुपालन में प्रदेश के कतिपय नगरीय निकायों में शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्रय गृहों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कतिपय निकायों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आश्रय गृह क्रियाशील किये जा चुके हैं।

आश्रय गृहों का संचालन कर रही गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में समय–समय पर शिकायतें की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि पूर्व निर्मित समस्त आश्रय गृहों का मानकों के अनुसार जिला स्तरीय गठित टॉस्कफोर्स/गठन कर, आश्रय गृहों के निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच करा ली जाये। जांच में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर, कमियों का निराकरण कराते हुए, कृत कार्यवाही से अभिकरण मुख्यालय को अवगत कराया जाये।

उक्त के साथ ही निर्माणाधीन आश्रय गृहों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक है कि:–

- जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स के माध्यम से, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करायी जाये।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण भी समय–समय पर सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराया जाये।
- निर्माणाधीन आश्रय गृहों की गुणवत्ता की नियमित जांच, उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषण एवं आगामी किश्तों की मांग के समय, की जाने वाली टॉस्क फोर्स की जांच के अतिरिक्त अलग से करायी जाये।
- टॉस्कफोर्स की जांच में निर्माणाधीन आश्रय गृह में अधोमानक सामग्री का प्रयोग पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाये।
- टॉस्कफोर्स की निरीक्षण आख्या एवं सामग्री परीक्षण की आख्या समय–समय पर प्रत्येक माह अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
- निरीक्षण/सत्यापन आख्या में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित भौतिक प्रगति का मदवार उल्लेख किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विगत में निर्मित आश्रय गृहों की जांच एवं निर्माणाधीन आश्रय गृहों की जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स के माध्यम से नियमित जांच/सामग्री परीक्षण आदि की समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे निर्मित होने वाले आश्रय गृहों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. निदेशक सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जल निगम लखनऊ।
4. सम्बन्धित सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक/नगर आयुक्त, शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ0प्र0।
6. सहायक वेब मास्टर, सूडा, को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक